

अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों से स्पष्ट कहा था कि 'या तो भाग जाओ या मुस्लिम बन जाओ या मर जाओ।' इस प्रकार शेख की बढ़ती भूमिका को देख अंग्रेजों ने उसे अपना मुहरा बनाया और महाराजा के विरुद्ध षड्यंत्र तेज कर दिये। 1939 में कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए अब्दुल्ला ने मुस्लिम कांग्रेस का नाम बदल कर नेशनल कांग्रेस कर दिया।

इधर सितम्बर, 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। 4 सितम्बर, 1939 मौहम्मद अली जिन्ना ने लार्ड लिनलिथगो से मुलाकात कर भारतीय ब्रिटिश सेना में मुस्लिम सिपाहियों की ब्रिटेन के प्रति वफादारी का विश्वास दिलाया। उस समय सेना में मुस्लिम सिपाहियों का अनुपात 40 प्रतिशत था। इसके साथ ही जिन्ना ने मुस्लिम नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर अंग्रेजों की मदद की। 23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत के मुस्लिमों के लिए अलग स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव किया, जिसका समर्थन खालिक-उल-जमन के माध्यम से जिन्ना ने तत्कालीन राज्य सचिव लार्ड जैलैण्ड से प्राप्त कर लिया था। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिमों ने अंग्रेजों के सहयोग से भारत के विभाजन की तैयारी करली थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन भारत में पूर्णतः स्थापित हो गया था। अनेक चिंतकों के मन में यह विचार आने लगे कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जायेंगे तो यहां का राजनीतिक व भौगोलिक मानचित्र कैसा होगा? इसका अनुमान एक अंग्रेज लेखक जॉन ब्राइट ने 1877 में लगाया कि जब अंग्रेज भारत से हटेंगे तो यहां पांच या छः उत्तराधिकारी सरकारें आयेंगी। यही विचार स्वाधीनता के समय अंग्रेजों के मन में आया कि वे देश की सत्ता विभिन्न राज्यों की सरकारों को देकर चले जायें। इसका कांग्रेस ने भारी विरोध किया था।⁶

वामपंथी लेखक रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक—“इंडिया टुडे एण्ड टुमारों 1955” में 1912 में स्टालिन की कही हुई बात को उद्धृत किया है कि, भारत शीघ्र ही विभिन्न राष्ट्रीयकर्ताओं में बंट जायेगा।” भारत में पृथक मुस्लिम राज्य का विचार सर्वप्रथम ब्रितानी लेखक विलफ्रिड स्केबन ब्लैंट ने दिसम्बर, 1883 में दिया था। उसका सुझाव था कि उत्तर भारत के सभी राज्य मुस्लिम शासन के अधीन और दक्षिण भारत के सभी राज्य हिन्दू शासन के अधीन रखे जायें। सभी राज्यों में ब्रिटेन की सेना रखी जाये और नियंत्रण भी अंग्रेजों के पास रहे। हिन्दू व मुस्लिम सरकारें नागरिक प्रशासन के कानूनों का निर्माण कर लागू करें और वित्तीय प्रबन्ध देखें।⁷ 1919 के भारतीय प्रशासन अधिनियम के तहत अंग्रेज देश का प्रशासन धीरे-धीरे भारतीयों के हाथों में देना चाहते थे, किन्तु चिन्ता उन्हें यह थी कि इसमें मुस्लिमों का हिस्सा कितना हो?

दिसम्बर, 1924 में मुस्लिम लीग के मुम्बई अधिवेशन में मौलाना मौहम्मद अली ने कहा था कि, “सुदूर उत्तर से दिल्ली तक के नक्शे पर यदि एक रेखा खींची जाये तो यह स्पष्ट दिखेगा कि कम से कम सहारनपुर तक मुस्लिम बहुमत का एक गलियारा है।” इसी चित्र को मौहम्मद इकबाल ने दिसम्बर, 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में काफी हद तक साफ कर दिया था। इकबाल ने कहा कि, “मैं चाहता हूँ कि पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान को मिलाकर जो राज्य बनेगा वह मुस्लिमों की अन्तिम नियति होगा।” इस राज्य में बंगाल शामिल नहीं था। इस मुस्लिम राज्य में से वे अम्बाला डिवीजन व उन सभी जिलों को निकालना चाहते थे, जहाँ मुस्लिम बहुमत नहीं था। आज जो पाकिस्तान है वह लगभग वही है जो इकबाल की कल्पना थी।

चौधरी रहमत अली को 'पाकिस्तान' शब्द का निमाता माना जाता है। जनवरी 1933 में रहमत अली व कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय के तीन अन्य छात्रों ने चार पृष्ठ के एक पत्रक में पाकिस्तान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की थी— 'प' से पंजाब, 'अ' से अफगानिस्तान या पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, 'क' से कश्मीर, 'इ' से ईरान, 'स' से सिन्ध—कच्छ व काठियावाड़ सहित, 'त' से तुखालिस्तान, 'अ' से अफगानिस्तान और 'न' से बलूचिस्तान का अंतिम अक्षर। इसे उन्होंने पवित्र भूमि माना और नामकरण किया। इन लोगों ने एक नवशा भी बनाया था, जिसमें तीन मुस्लिम राज्यों की कल्पना की गयी थी— उत्तर—पश्चिम में पाकिस्तान, बंगाल और आसाम को मिलाकर बंग—ए—इस्लाम और दक्षिण में हैदराबाद राज्य का उस्मानिस्तान। रहमत अली की दो बातें तो साकार हो गयीं। पाकिस्तान बन गया और बांग्लादेश भी। उस समय ये ख्याली योजनायें थीं, किन्तु परिकल्पना और विचारों ने अन्ततः देश को विभाजन के कगार पर खड़ा कर दिया और 23 मार्च, 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन ख्याली योजनाओं का मूर्त प्राप्त हो गया।⁸ इस प्रकार जिन्ना सहित मुस्लिम लीग व अंग्रेज हिन्दुओं से प्रतिशोध ले रहे थे।

9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' व 'करो या मरो' के नारों से और आन्दोलनों से और सुभाष चन्द्र बोस द्वारा जापान से हाथ मिलाने से अंग्रेजों की चिन्ता बढ़ गयी, तो चर्चिल ने इसका बदला क्रिप्स मिशन द्वारा यह घोषित करा कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप से उनके हटने की दिशा में पाकिस्तान के अस्तित्व में आने को नकारा नहीं जा सकता।⁹

अगस्त 1945 में महायुद्ध की समाप्ति के बाद जर्जर ब्रिटेन अपने पैर सिकोड़ने की योजना बनाने लगा। गिलगित तो भारत के आजाद होने ते उनके हाथ नहीं लग सकिन्तु वे इस स्वप्न को भूल न सके। प्रतिशोधवश भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का बीज बो दिया और उसके उत्पन्न होने के बाद फूलने—फलने का कार्यक्रम बनाने लगे। लार्ड वैवेल ने इस कार्य में सक्रिय रूप से भूमिका अदा की। 1945 के अन्त में ही विभाजन की उन्होंने तैयारी की और 6 फरवरी 1946 को गुप्त टेलीग्राम से लन्दन भेज दिया।¹⁰ इस योजना में वैवेल ने सामरिक महत्व की दृष्टि से पाक के लिए पश्चिम पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर—पश्चिमी सीमा प्रान्त, करांची बन्दरगाह व सिन्ध प्रान्त भी शामिल था। इसी से ब्रिटेन के सामरिक प्रयोजन पूरे हो रहे थे। इसी क्षेत्र से यूरेशिया के सबल देशों पर नजर रखी जा सकती थी।

अब तक मौहम्मद अली जिन्ना राजनीति में गहरी पहुंच बना चुके थे। जिन्ना शेख अब्दुल्ला में कश्मीर को लेकर मन—मुटाव बढ़ गया। अतः अब्दुल्ला ने कम्यूनिस्टों से साठ—गांठ की और 1946 में स्वतंत्र कश्मीर का सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लगे और महाराजा हरिसिंह के विरुद्ध 'कश्मीर छोड़ो आन्दोलन' छेड़ दिया। पं० नेहरू से अच्छे सम्बन्ध बने होने पर अब्दुल्ला हरिसिंह के विरुद्ध साजिश रचने में लगे हुए थे। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को 1945 में गिरफ्तार करा लिया। इस पर पं० नेहरू ने कश्मीर जाकर सत्याग्रह करने की घोषणा की और हरिसिंह पर शेख को छोड़ने का दबाव बनाया। पं० नेहरू जब रावलपिण्डी से आगे बढ़े तो महाराजा के आदेश पर कोहला में नेहरू को गिरफ्तार करते समय सिपाहियों से हाथापाई हो गयी। अन्त में पं० नेहरू शेख से बिना मिले वापस दिल्ली लौट आये और हरिसिंह से बदला लेने का इंतजार करते

रहे।

अगस्त 1945 में हुई महात्मा गांधी—जिन्ना वार्ता को आधार बनाकर चालाकी से वैवेल ने पाक निर्माण योजना फरवरी 1946 पेश की जिसके लिए जून 1946 में केबिनेट मिशन भारत आया। वार्ता फेल हो जाने पर विभाजन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय नेताओं पर डाल दी गयी। अगस्त 1946 में जिन्ना की 'सीधी कार्यवाही' करने की घोषणा से उत्पन्न संकट से कांग्रेस असहाय हो गयी और पाक के निर्माण को स्वीकारना पड़ा। पाक का निर्माण 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' के आधार पर अंग्रेजों ने किया, जो एक सोची—समझी चाल थी। 24 मार्च, 1947 को बर्मा से लाकर लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बना दिया और उसने 40 दिन बाद ही, पूर्व विभाजन की योजना तिथि 3 जून 1948 थी, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ब्रिटिश संसद में घोषित कर चुके थे, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके पीछे अमेरिका का भी हाथ था। अमेरिका की इस चाल को रूसी नेता स्टालिन के बाद खुश्चेव ने समझ लिया। इसीलिए 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में कश्मीर मुद्दे पर खुश्चेव ने वीटो किया था। यह चाल थी—पाक के प्रति अमेरिका व ब्रिटेन का लगाव। यदि माउण्टबेटन की घोषणा को भारतीय अस्वीकार कर देते तो ब्रिटेन के लिए योजना लागू करना सम्भव नहीं होता। भारत के विभाजन के बाद जम्मू—कश्मीर के महाराजा द्वारा स्वतंत्र रहने का निर्णय करना ही कश्मीर समस्या का मूल कारण बन जाता है, क्योंकि पाक के जिन्ना जैसे नेता सोच रहे थे कि कश्मीर अन्ततः हमें मिल जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराजा ने पाक के साथ यथास्थिति का समझौता (14 अगस्त, 1947) कर लिया और भारत के साथ भी ऐसा करना चाह रहे थे। पाक ने समझौता किया अवश्य, लेकिन पालन न करते हुए कबाइलियों के रूप में अपने सैनिकों से हमला करा दिया और अन्ततः युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का वर्णन आगे किया गया है।

सन् 1947 से और उसके बाद संक्षेप में हम कह सकते हैं कि **कश्मीर समस्या के लिए जितने अंग्रेज दोषी थे, उससे कहीं अधिक पं० नेहरू व शेख अब्दुल्ला दोषी थे।** कश्मीर की संस्कृति लगभग 5,000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। कश्मीरी पंडितों के 133 गोत्र हैं जिनमें वे बंटे हुए हैं जिनका कश्मीर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। पं० नेहरू भी कश्मीरी थे। घाटी में इन पंडितों की (हिन्दुओं) कुल संख्या सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत थी, जो पढ़—लिखे, बुद्धिजीवी और विद्वान थे। एक ब्रिटिश विद्वान मोनियर विलियम के अनुसार, "ये कश्मीरी पंडित भारत के अन्य भागों में निवास करने वाले पंडितों की अपेक्षा अपने को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। पूर्व में घाटी में इनकी संख्या तीन लाख से भी अधिक थी, जो अब घटकर केवल दो हजार ही रह गयी है।"¹¹ 1947 के भारत विभाजन से लेकर आज तक सबसे अधिक त्रासदी इन पंडितों को ही उठानी पड़ी है। हजारों कश्मीरी पंडित शरणार्थियों के रूप में दिल्ली, मुम्बई आदि महानगरों में निराश्रित जीवन यापन कर रहे हैं।

आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० नेहरू बने और गृहमंत्री के साथ—साथ उप प्रधानमंत्री का पद बल्लभ भाई पटेल को दिया गया। कश्मीर के सम्बन्ध में सारे अधिकार पं० नेहरू ने अपने पास रखे और पटेल को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करने दिया।¹² पाक का कबाइली हमला कश्मीर रियासत पर हो गया जोकि स्वतंत्र थी। हालात बिगड़ने पर महाराजा हरिसिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी तो नेहरू शान्तभाव से अपने पुराने प्रतिशोध को परा करने की योजना में जटे थे। अब उनके लिए बदला लेने का

अच्छा अवसर था। अंग्रेज और जिन्ना भी इस तथ्य से अवगत थे। शेख अब्दुल्ला महाराज के यहां नजरबन्द था ही। अतः महाराजा द्वारा अपने को असहाय स्थिति में देखते हुए किसी भी कीमत में पाक में न मिलने के कारण बार-बार भारत सरकार से सैन्य सहायता की मांग की। पटेल जैसे राष्ट्रभक्त लोगों का दबाव बढ़ते देख पं० नेहरू ने महाराज से शर्त रखी कि शेख अब्दुल्ला को रिहा करके रियासत का भार अब्दुल्ला को सौंप दें और स्वयं रियासत छोड़कर चले जायें। पं० नेहरू शेख अब्दुल्ला के काले कारनामों के अपरिचित नहीं थे। जिस शेख अब्दुल्ला ने 1931 में कश्मीरी भाषा में कश्मीरी पंडितों से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, “या तो मुसलमान बन जाओ या भाग जाओ या खत्म हो जाओ।” 1947 में ‘आल जम्मू-कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस’ के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी हमीदुल्ला खान महाराजा को रवतंत्र रहने की वार्ता कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी नेताओं से सम्पर्क करने हेतु अपने दो विश्वासपात्र वर्ष्णी गुलाम मुहम्मद व जी० एम० सादिक को पाक भेज दिया। ऐसे व्यक्ति को पं० नेहरू रियासत की बागडोर दिलवाना चाह रहे थे, जो पाक के साथ था। रिहा होने के बाद अब्दुल्ला सीधे दिल्ली में नेहरू के पास पहुँच चुके थे। अन्ततः वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ रियासत छोड़ दी। शेख अब्दुल्ला ने विलय पत्र पर अपनी मुहर लगाकर नेहरू के माध्यम से रियासत की बागडोर 28 अक्टूबर को संभाल ली। पं० नेहरू महाराजा हरीसिंह के उनके पूर्वजों के राष्ट्र भवित्व के उन कार्यों को भूल गये, जो उन्होंने दर्शायी थी। गिलगित से हरीसिंह ने यूनियन जैक का ध्वज हटाया, सेना हटाकर अपनी सेना तैनात की और श्रीनगर में ब्रिटिश रैजीडेंट को खत्म कर दिया था।¹³

जिन्ना और माउण्टबेटन के बीच भी खिचड़ी पक रही थी। दोनों कश्मीर को पाक में मिलाने के लिये प्रयासरत थे। इसी उद्देश्य से माउण्टबेटन तीन दिन तक कश्मीर में जाकर महाराजा से मुलाकात का प्रयत्न करते रहे। महाराजा को बेटन का उद्देश्य पता चला तो उन्होंने बेटन से मिलने से इन्कार कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने एक पत्र महाराजा के पास कर्नल विलियम बिर्नी से भिजवाया कि उनकी तबियत ठीक न होने से वे डॉक्टरों की सलाह से जलवायु परिवर्तन हेतु कश्मीर में रुकना चाहते हैं। महाराजा ने स्थिति को समझते हुए इन्कार कर दिया तो जिन्ना भड़क उठे और उनके सूत्रों के माध्यम से मुल्लाओं और साम्राज्यिक तत्त्वों के द्वारा महाराजा के विरुद्ध साजिशें रचवाकर दंगे कराये। महाराजा का प्रधानमंत्री रामचन्द्र काक भी जिन्ना व बेटन के साथ मिला था। काक की पत्नी अंग्रेज थी जिसके लेडी माउण्टबेटन के साथ सम्बन्ध थे। दरबार की सम्पूर्ण गतिविधियों को अपने पति से पता करके वह गुप्त रूप से माउण्टबेटन तक पहुँचाती थी। इसका पता जब महाराजा को लगा तो उन्होंने रामचन्द्र कॉक को नजरबन्द करा दिया और मेहरचन्द महाजन को प्रधानमंत्री बना दिया, जिन्होंने 15 अक्टूबर, 1947 को पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण से पूर्व मेहरचन्द दिल्ली में पं० नेहरू व सरदार पटेल से मिलकर ‘कश्मीर का भारत में विलय’ पर विस्तार से चर्चा कर चुके थे। प्रमुख बात यह कि शेख अब्दुल्ला अभी भी महाराजा के यहां नजरबन्द थे। अतः नेहरू की दिलचस्पी शेख को मुक्त कराने की अधिक थी। भारत सरकार इससे बेखबर तो नहीं किन्तु आंख बन्द किये बैठी रही। कश्मीर रियासत नहीं बल्कि यह सीमान्त रियासत थी छोड़ दिया। जम्मू-कश्मीर कोई सामान्य रियासत नहीं बल्कि यह सीमान्त रियासत थी जिसके चारों ओर रूस, चीन, अफगानिस्तान व पाकिस्तान जैसी ताकतें थीं। 21-22 अक्टूबर, 1947 तक पाक फौज श्रीनगर तक आ गयी थी। अब तक 11,000 हिन्दू मारे

जा चुके थे और लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी। पं० नेहरू इस बात पर डटे थे कि जब तक महाराजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद शेख को सत्ता सौंपकर कश्मीर से बाहर नहीं चले जाते, तब तक सेना नहीं भेजी जा सकती। अन्ततः असहाय होकर 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये और सपरिवार रियासत छोड़ दी। 27 अक्टूबर की भोर में ही भारतीय सेना की टुकड़ियां कश्मीर पहुंच गयी थीं। 28 अक्टूबर, 1947 को शेख अब्दुल्ला ने रियासत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया। कर्णसिंह, जो अमेरिका में थे और नाबालिंग थे, को सदर-ए-रियासत बना दिया, जिससे कि अब्दुल्ला पर किसी का नियंत्रण न रहे। अब्दुल्ला ने महाराजा के खास आदभियों को सत्ता से हटाकर साम्प्रदायिक तत्वों को शामिल कर दिया और महत्वपूर्ण पद दिये।¹⁴

भारतीय फौज ने कश्मीर में उत्तरते ही पाक फौज को पीछे हटने पर बाध्य किया तो जिन्ना को लगा कि यदि यही स्थिति रही तो पाक फौज द्वारा हड्डी गयी जमीन वापिस चली जायेगी। जिन्ना ने माउण्टबेटन से सम्पर्क करके नेहरू से युद्ध विराम कराने को कहा। पं० नेहरू ने माउण्टबेटन व लेडी माउण्टबेटन के आदेशानुसार आनन-फानन में 28 अक्टूबर, 1947 की शाम को रेडियो प्रसारण द्वारा घोषणा कर दी कि कश्मीर का विलय इस शर्त के साथ किया गया है कि बाद में राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जनमत संग्रह कराया जायेगा। इस घोषणा से पूर्व नेहरू ने किसी भी सहयोगी से परामर्श नहीं लिया, जबकि जनमत संग्रह की बात का उल्लेख न तो विलय पत्र में था, न कश्मीरी जनता की इच्छा थी न शेख अब्दुल्ला की।¹⁵

30 दिसम्बर, 1947 या । जनवरी, 1948 को कश्मीर मामला राष्ट्र संघ में पहुंच गया। अन्ततः । जनवरी, 1949 को युद्धविराम हो गया जबकि सेना कुछ दिन की मौहलत मांगती रही, क्योंकि वह गिलगित जैसे क्षेत्र को जीतने वाली थी। अब्दुल्ला आदि के कहने पर सेना को समय नहीं दिया। यहां भी पं० नेहरू ने किसी से परामर्श नहीं लिया। इस प्रकार कश्मीर का 78,114 वर्ग किमी० क्षेत्र पाक के कब्जे में रह गया। यही आजाद कश्मीर कहलाता है, जो आतंकवाद का गढ़ है। पं० नेहरू ने धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, जिसे डॉ० बी० आर० अम्बेडकर ने पास नहीं होने दिया और खुलकर विरोध किया था। अनेक नेताओं ने धारा 370 का विरोध किया व आन्दोलन किये थे। 1953 में आन्दोलनकारियों को शेख अब्दुल्ला ने कैद करा लिया। पं० नेहरू की सर्वत्र आलोचना हुई तो पं० नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से नेताओं की रिहाई का आदेश दिया। अब शेख अब्दुल्ला भारत सरकार के प्रति विषवमन करने लगे। उन्होंने एडरसन व स्टीवेसन आदि अमेरिकी नेताओं के साथ मिलकर कुचक्र रचने शुरू कर दिये। उनके ऊपर ब्रिटिश एजेन्ट होने का एक दस्तावेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया, जिसे गुप्तचर पुलिस के महानिदेशक जे०के० हॉण्ड ने गृहमंत्री डा० के० एन० काटजू एवं पं० नेहरू को दिखाया तो नेहरू की आंखें फटी की फटी रह गयी। अर्थात् वे गंभीर रूप से आश्चर्यचकित हो गये थे। पं० नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का आदेश (1957) दिया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी।¹⁶ यह था कश्मीर के ऊपर खेला जाने वाला खेल।

पाक की नजर आज भी कश्मीर पर लगी हुई है। आज 65 वर्षों के बाद भी वह कश्मीर मोह त्याग नहीं पाया है। पाक शासक राज मोह छोड़ेंगे भी कैसे? आखिर यह

उनके लिए सत्ता प्राप्ति का खेल जो है। प्रॉक्सी वार चल रहा है। वह ब्रिटिश योजना के प्रथम भाग में आतंकवाद के माध्यम से गुजरात, जूनागढ़ रियासत और आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को शामिल करना चाहता है। योजना के दूसरे भाग में पाक भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए आतंकवाद का खुलकर समर्थन कर रहा है। आतंकवादियों को हथियार एवं धन प्रदान कर रहा है। इस योजना में चीन भी शामिल है। 1962 में चीन भारत पर हमला करके इस जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू संभाग के लेह-लद्दाख क्षेत्र में अक्साइचिन की 37,555 वर्ग किमी⁰ जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए अरुणाचल प्रदेश की 90 हजार वर्ग किमी⁰ जमीन पर भी दावा कर रखा है। इतना ही नहीं चीन ने पाक को अपने प्रभाव में लेकर एक सीमा समझौते के तहत 5180 वर्ग किमी⁰ जमीन हुंजा शक्सगाम घाटी क्षेत्र की, 99 वर्ष के लिए 2 मार्च, 1963 में पट्टे पर ले ली। पाक ने अपने अवैध रूप से कब्जे वाली पीओओके⁰ की जमीन में से यह जमीन देकर कराकोरम राजमार्ग के विस्तार में मदद दी। और कूटनीतिक लाभ प्राप्त किया। वह पाकिस्तान के मध्य हुए इस समझौते के तहत काराकोरम में सिन्ध-तरीम (तारिम) जल-विभाजक सीमा रेखा क्षेत्र में ही अक्साइचिन सड़क मार्ग पड़ता है। डाउ अमरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य व शांतिलाल आच्छा ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में अध्याय 13 संसार के अशान्त क्षेत्र, पृ० 544 पर भू-क्षेत्र को 5310 वर्ग किमी⁰ बताया है। इस प्रकार चीन भी कश्मीर समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया। चीन के पास भारत की अवैध रूप से कब्जे में लगभग $37,555 + 5180 = 42,735$ वर्ग किमी⁰ जमीन है। इसके बदले में चीन समय-समय पर पाक को आर्थिक, सामरिक व कूटनीतिक मदद देकर उपकृत करता रहा है। चीन नहीं चाहता कि जम्मू-कश्मीर समस्या का समाधान हो, अन्यथा उसके सैनिक समीकरण बिगड़ जायेंगे। जो लाभ उसे कराकोरम राजमार्ग और अक्साइचिन क्षेत्र में प्राप्त हैं, वह त्यागने पड़ेंगे।

इस पश्चिमी क्षेत्र में सीमाएं 1665 व 1684 (लद्दाख-तिब्बत समझौता) की संधियों से परिभाषित थीं तथा 1642 के डोगरा-लद्दाख समझौते से इनकी पुष्टि अभिप्राणित होती है। यह त्रि-पक्षीय संधि थी जिस पर जम्मू के तत्कालीन महाराजा, चीन सरकार व तिब्बती सरकार के हस्ताक्षर हैं। 1842 की संधि से लद्दाख व तिब्बत के मध्य की सीमाएं वे ही स्वीकृत की गयी थीं जो पुरानी परम्परागत व मान्य सीमाएं थीं। आज चीन तर्क दे रहा है कि तब न तो चीनी प्रतिनिधि उसमें शामिल था और न सिक्यांग की सरकार ने संधि का अनुमोदन किया था। इस संधि में लद्दाख-तिब्बत सीमा को न तो परिभाषित किया गया और न सामान्य शर्तें अंकित की गयी थीं। चीन का दावा निराधार है क्योंकि संधि के आमुख में चीन के बादशाह एक पक्ष के रूप स्पष्टतः उल्लिखित है। 1846-47 में चीनी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को सूचित किया था कि हमारी दक्षिणी-पश्चिमी सीमाएं अच्छी तरह से स्थापित हैं। 1868 का कश्मीरी एटलस भी सीमा की वैधता को दर्शाता है। तिब्बत का 1893 का प्रकाशित एक मानचित्र भी भारत की वर्तमान सीमा को दर्शाता है। तिब्बत के सरकारी दस्तावेज, मानचित्र, सर्वेक्षण अभिलेख व मालगुजारी अभिलेख भी भारतीय स्थिति की पुष्टि करते हैं। अक्साइचिन क्षेत्र भारतीय ही है। 1899 के एक ब्रिटिश नोट से इसकी पुष्टि होती है, जो चीनी सरकार को लिखा गया था कि अक्साइचिन सड़क चीन क्षेत्र में नहीं थी। चीन आज भी अपनी धूर्तता से पीछे नहीं हटा है। 1866 में भारत ने अक्साइचिन क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कराया और उसे प्रकाशित भी किया था, तब चीन ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया था।